उत्तर मध्य रेलवे

कार्यालय
प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब.
उ.म.रे./प्रयागराज

पत्रांकः रे.सु.ब./उ.म.रे./यात्री सुरक्षा/अच्छे कार्य 15–सी/प्रयागराज/2021
दिनांक 06.12.2021

महानिरीक्षक/रे0सु0ब0/मुख्यालय
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

विषय–Sharing the information on police website about good work done by RPF personnel.
संदर्भ–रेलवे बोर्ड पत्रांक 2020/Sec(Int.)/51/6/3 dated 14/15.09.2020

****

विषयांकित के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र के आलोक में उत्तर मध्य रेलवे/रे0सु0ब0 प्रयागराज की चयनित अच्छे कार्य की रिपोर्ट निम्नवत् है।

क0सं0	मण्डल	विवरण	फोटो
1.	प्रयागराज मण्डल	<u>मानिकपुर पोस्ट</u>–दिनांक 11.11.2021 को अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे मानिकपुर स्टेशन के प्लेटफार्म नं0 04 के सतना छोर से 01 संदिग्ध व्यक्ति को यात्री सामान की चोरी से संबंधित होने पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी का विवरण– (1) नरेश सिंह उर्फ शेरा सिंह, पुत्र श्री गणेश सिंह, उम्र–23 वर्ष, निवासी ग्राम व थाना बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.) अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध जीआरपी मानिकपुर पर मु.अ.सं. 59/2021 अंतर्गत धारा 411, 413 आईपीसी पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम – रे0सु0ब0 मानिकपुर 1.निरीक्षक पी.एस. परिहार 2. प्रधान आरक्षक शिवविशाल सिंह जीआरपी मानिकपुर 1.निरीक्षक डी. के.मिश्रा 2. हे0का0 परवेज	
2.	प्रयागराज मण्डल	**<u>प्रयागराज पोस्ट</u>**–दिनांक 15.11.2021 को पोस्ट कमांडर, प्रयागराज बी.पी. सिंह हमराह उपनिरीक्षक ओमप्रकाश, उपनिरीक्षक सुधीर कुमार, सहायक उपनिरीक्षक बृजमोहन यादव, कांस्टेबल संतोष यादव, कांस्टेबल सोनू, कांस्टेबल रवि यादव एवं कांस्टेबल सुखसागर सरोज को गश्त एवं प्लेटफार्म चेकिंग के दौरान 05 व्यक्ति, जो पीएफ संख्या 4–5 के मध्य में शौचालय के पास बैठकर सिगरेट पीते दिखे, जिनके बैगों की चेकिंग किया तो शराब के ट्रेटा पैक 8PM 180 ml & Royal Stag Barrel Select 750 ml Whiskey की बोतलें एवं 02 पेचकस, 02 पिलास मिले। पांचो व्यक्तियों को पकड़कर एवं बैग को पोस्ट लाकर बैगों की तलाशी में 36 बोतल रायल स्टैग विहस्की एवं 816 ट्रेटा पैक 8PM बरामद हुए। पूछताछ करने पर बताया कि बिहार में शराब बैन है, इसलिए यूपी से ट्रेनों से ले जाकर बिहार ले जाकर दुगनें दामों पर बेच देते हैं। **आरोपी का नाम पता –** 1.रोहित पुत्र जोगेंद्र, उम्र 18वर्ष, निवासी मछरहटा, थाना, फतुहा, जिला पटना, 2.डब्ल्यू कुमार पुत्र मनोज कुमार उम्र 19 वर्ष निवासी मछरहटा,थाना फतुहा,जिला पटना, 3. नेपाली साहनी पुत्र सोहराज साहनी उम्र 30 वर्ष निवासी फतुवा थाना नदी जिला पटना , 4 .छोटू कुमार पुत्र	

		नंदू प्रसाद उम्र 19 वर्ष निवासी फतुआ थाना फतुआ,जिला बिहार, 5.चंदन कुमार पुत्र राजकुमार साहनी, उम्र 18वर्ष, निवासी फतुआ, थाना नदी, जिला पटना। , **जब्त सामग्रीः–** 36 बोतल रायल स्टैग विहस्की कीमत 25,560/–, 816 ट्रेटा पैक 8PM कीमत 89,760/–, 02 पेचकस और 2 पिलास कुल कीमत 1,15,320/–रु0, 4 मोबाइल, 2,380 नकद, एक पैकेट सिगरेट एवं माचिस। आरोपी के विरुद्ध रे0सु0ब0 पोस्ट प्रयागराज पर अ0क्र0 483/2021 से 487/2021 U/S 145, 146, 147, 167 रेलवे एक्ट में प्रकरण पंजीकृत किया गया।	
3.	झांसी मण्डल	<u>ग्वालियर पोस्ट–</u>दिनांक 14.11.2021 को निरीक्षक संजय कुमार आर्या हमराह उप निरीक्षक अंकित कुमार, आरक्षक राकेश मीना, आर0 राजकुमार तोमर, आर0 सकील खान, प्रधान आरक्षक शिवनंदन शर्मा/डिटेक्टिव विंग ग्वालियर को गश्त के दौरान ग्वालियर स्टेशन के प्लेटफार्म नं0 02 पर गाडी सं0 02887 समता एक्सप्रेस से 02 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखे, जिन्हें पकड़कर पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम क्रमशः (01.) बजरंग लाल शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम मुडिया, पोस्ट गिनोई, थाना कालाडोरा, तहसील आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान) एवं (02.) पांचू राम सैनी पुत्र श्री बालू राम सैनी, उम्र 50 वर्ष, निवासी हरमाडा, गायित्री नगर, पोस्ट हरमाडा, थाना हरमाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान बताया तथा बताया कि दोनों उक्त ट्रेन से खैरिया रोड से दिनांक 13.11.2021 को बैठे थे तथा ग्वालियर तक आ रहे थे। दोनों में से बजरंग लाल शर्मा की तलाशी ली गई तो उसके टाईकून बैग से एक ब्राउन रंग के टैप से टैपिंग किया गया पैकेट मिला, पैकट का वजन 6.564 कि.ग्रा. पाया गया तथा पांचूराम सैनी की तलाशी ली गई तो एक लावा कम्पनी का इस्तेमाली मोबाइल, नगद रुपये 6,167/–, एक वोटर कार्ड संख्या आर.जे./07/039/246/124 तथा आधार कार्ड सं0 619792461100 मिला जिस पर नाम पांचूराम पुत्र बालूराम लिखा था। तथा उसके स्लेटी रंग के TYCOON बैग से एक ब्राउन रंग के टैप से टैपिंग किया गया पैकेट मिला जिससे बीज व सूखी पत्तियॉ निकली। इसके संबंध में पुनः पूछने पर पांचूराम सैनी ने गांजा होना बताया। उक्त पैकट (गांजा) का वजन 6.102 कि.ग्रा. था। कुल वजन 12.666 किग्रा0, अनुमानित कीमत रुपये 1,20,000/– उपरोक्त के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट 06/2021 धारा 8/20 पंजीकृत किया गया।	
4.	आगरा मण्डल	<u>आगरा छावनी पोस्ट–</u>दिनांक 16.11.2021 को उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह सोलंकी (CPDS team), उपनिरीक्षक गुलशन (रे0सु0ब0/आगरा कैंट), हे0कां0 श्याम सिंह (डिटेक्टिव विंग/आगरा), कां0 नदीम खान (CPDS team) व कां0 धर्मेन्द्र सिंह (CPDS team) एवं उप निरीक्षक/जीआरपी/आगरा कैंट सुनील कुमार मय स्टाफ के साथ अपराधिक रोकथाम व गश्त में मामूर व चेकिंग के दौरान आगरा छावनी स्टेशन पर 05 महिलाओं को शक के आधार पर 05 बैगों के साथ चेक किया गया तो उनके पास 05 अलग–अलग बैगो में कुल 48 kg गांजा (Cannabis/Marijuana) बरामद हुआ। **गिरफ्तारी का विवरणः–** (1)नाजमा खातून उर्फ मुन्नी w/o मो0 पिंकू उम्र 35 वर्ष R/o 2 प्रथम पुस्ता न्यू उस्मानपुर मांडू गढ़ी थाना–उस्मानपुर, जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली–53 (2) रजन्ती नायक निवासी सदन नायक उम्रदृ 30वर्ष R/O बैपारीगुडा लछमीपुर, थाना–बैपारीगुड़ा, जिला– कोरापुट (उडीशा) (3) सुनामनी मच्छा d/o प्रीतम हरीजन, उम्र–35 वर्ष	

		R/O बैपारीगुडा लछमीपुर, थाना–बैपारीगुड़ा, जिला–कोरापुट (उडीशा) (4) सुभद्रा माचो w/o रामसिंह, उम्र–48 वर्ष R/O बैपारीगुडा लछमीपुर, थाना–बैपारीगुड़ा, जिला– कोरापुट (उडीशा) (5) मैनाखोरा W/O कुशाखोरा उम्र 35 वर्ष R/O– बैपारीगुडा लछमीपुर, थाना–बैपारीगुड़ा, जिला– कोरापुट (उडीशा) उक्त आरोपियों से पूछताछ में बरामद माल जयपुर(उड़ीसा) से लेकर आना बताया। घटना वाक्यात व बरामदगी के आधार पर आरोपियो के विरुद्ध जीआरपी थाना आगरा कैंट में मामले पंजीकृत किये गये हैं। **'पंजीकृत अभियोगों का विवरण'–** 1)'मु0अ0संख्याः–230/2021 धारा 8/20 NDPS Act 2)'मु0अ0संख्याः–231/2021 धारा 8/20 NDPS Act 3)'मु0अ0संख्याः–232/2021 धारा 8/20 NDPS Act 4)'मु0अ0संख्याः–233/2021 धारा 8/20 NDPS Act (5)'मु0अ0संख्याः–234/2021 धारा 8/20 NDPS Act बरामद गांजा की अनुमानित कीमत 4,80,000/– रुपये	
5.	झांसी मण्डल	**<u>झाँसी पोस्ट</u>**–दिनांक 25.11.2021 को रे0सु0ब0 पोस्ट झांसी स्टेशन पर कार्य कर रही CPDT टीम उप निरीक्षक यतेंद्र कुमार हमराह स्टाफ व जीआरपी स्टाफ द्वारा 01 नफर ToPB संबंधी संदिग्ध व्यक्ति को मय चोरित 02 मोबाइल के साथ रंगे हाथ पकड़ा। पूछताछ करने पर संदिग्ध व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसने उक्त मोबाइलों को झाँसी स्टेशन से आने–जाने वाली ट्रेनों से चुराया था। **टीम सदस्यः–** रे.सु.ब CPDT टीम, पोस्ट झांसी स्टेशन 01. उ. नि. यतेंद्र कुमार 02.उ. नि. जितेंद्र सिंह यादव 03. आ0 हेमंत कुमार **'गिरफ्तार चोर का विवरणः**–रामकेश उर्फ अनील पुत्र मोहनलाल उम्र–26 वर्ष निवासी–पचवख, पोस्ट–गोरीकरन थाना–सट्टी, जिला–कानपुर देहात। **कुल संपत्ति का विवरणः–** 02 अदद चोरित मोबाइल कुल अनुमानित कीमत–रू 34,500/– उपरोक्त आरोपी को अग्रिम कार्यवाही हेतु जीआरपी/झाँसी को सुपुर्द किया गया जहां आवश्यक जांच उपरांत जीआरपी थाने में पहले से पंजीकृत मामला अपराध सं0 277/2021 व 280/2021 अन्तर्गत धारा 380, 411 IPC के साथ सम्बद्ध किया गया।	

रिपोर्ट प्रेषित है।

(रवीन्द्र वर्मा)
प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब.
उ.म.रे./प्रयागराज

प्रतिलिपि–सीपीआरओ/उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित है।

Digitally Signed by
Ravindra Verma
Date: 06-12-2021 18:41:24
Reason: Approved